

## कार्यालय -सचिव, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, मोहान रोड, लखनऊ।

पत्रांक- ११- 686-7/जी0प्रा0शि0प0-परीक्षा-2018/2018-19

दिनांक २०-५-सन् 2019

### जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बन्धित जनपद, उ0प्र0

आगरा इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, देवरिया गाजियाबाद, गाजीपुर, फैजाबाद उन्नाव, शाहजहाँपुर झाँसी, आजमगढ़, लखनऊ, महोबा, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, औरैया, सुल्तानपुर, सोनभद्र, जालौन, फतेहपुर, चन्दौली, इटावा मधुवा, मुरादाबाद, सम्भल, भदोही मऊ, दारागंजी, गोरखपुर, रामपुर, जौनपुर, बलिया, कानपुर नगर, बिजनौर, प्रतापगढ़ एवं जौ0पी0नगर,।

आपको अवगत कराना है कि परिषद के पत्रांक सं०-सी 075/जी0प्रा0शि0प0/परीक्षा/2018-19 दिनांक-14.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में सूचना है कि फार्म प्राप्त करने की तथा जमा करने की और दिलम्ब शुल्क सहित जमा करने की तिथि वर्ष 2019 हेतु निम्नानुसार बढ़ायी जा रही है। कृपया अपने जनपद की सम्स्त संस्थाओं को अवगत करा दें।

### निर्देश एवं कार्यक्रम

परीक्षा फार्म वितरित किये जाने की अवधि	परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	दिलम्ब शुल्क सहित परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि (सभी वर्ग के छात्रों के लिये रु -10.00 प्रति छात्र अतिरिक्त)	निर्धारित शुल्कों का विवरण (रुपये में)
22-03-2019 से 20-04-2019 तक	21-04-2019 से 30-04-2019 तक	01-05-2019 से 06.05.2019 तक	1-परीक्षा फार्म शुल्क- 20.00 प्रति परीक्षार्थी सभी वर्गों के लिये। 2-परीक्षा शुल्क-अनुसूचित जाति / जनजाति 50.00 प्रति छात्र 3- पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति- 100.00 प्रति छात्र 4- व्यक्तिगत सभी वर्गों के लिये 200.00 प्रति परीक्षार्थी

- परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फार्म संस्था की प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर से ही जमा की जायें।
- संस्था स्तर पर गत वर्षों के अन्तर्गत परीक्षा फार्म वर्तमान अथवा आगामी परीक्षाओं में अमान्य होंगे।
- संस्था में सत्र 2018-19 में प्रविष्ट प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश सूची ट्रेडिंगर निम्न प्राकृत पर परीक्षा फार्म प्राप्त करते समय मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता का नाम	जाति	जन्म तिथि	प्रवेश तिथि	पत्र व्यवहार का पता	अन्य

- ट्रेडिंगर चालान के सभी कालम सफा एवं पूर्णरूप से भरे जायें, तथा परीक्षा फार्म में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
- निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद परीक्षा फार्म जमा नहीं किये जायेंगे।
- शुल्क निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र में निम्न लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी (परिषद कार्यालय में नकद शुल्क प्राप्त नहीं की जायेगी)।


0235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

60-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

800-अन्य प्रशिक्षण

01-समाज कल्याण विभाग की प्रकीर्ण प्रशिक्षण

अतः कार्यक्रम की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद में संबन्धित सम्स्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को सम्यक् तथ्य से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

भवदीय  
  
 (पूजा मिश्रा)  
 सचिव

पृष्ठांक संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि-निम्न की संख्या में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदत्त अनुसूचन दिनांक 13.03.2019 के क्रम में सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- संयुक्त निदेशक, (शैक्षणिक) निदेशालय, समाज कल्याण उ0प्र0को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, कृपया निदेशालय स्तर से भी उक्त जनपदों के जिला स0क0अधिकारी/जि0स0क0अ0 (विकास) को निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

सचिव,